न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2011
प्रविष्टि दिनांक 21–01–2011

1–लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लाल जाति जाट निवासी ग्राम मांदोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–नानूलाल पुत्र श्री रामजीवन जाति जाट निवासी ग्राम मांदोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

...........प्रार्थीगण

बनाम

1–जीवण पुत्र बेजनाथ जाति जाट निवासी निवासी ग्राम मांदोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
2–भू आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवण्टन नियम 1970
विरूद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 16.11.2010

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक, प्रार्थीगण
(2) अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 29.09.2016

1– प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16–11–2010 को प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर साबिक 1619 रकबा 0.27 हे0 व ख0नं0 1624 रकबा 0.24 हे0 कुल 0.51 हेक्टर भूमि वाके ग्राम मान्दोलाई का आवण्टन करने का पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के आवण्टन को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी विपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। आवण्टन पत्रावली मॅंगवाई गई। आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल आवण्टन आदेश, नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2065–67 संलग्न की है। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मान्दोलाई स्थित विवादित भूमि ख0नं0 1619 रकबा 0.27 हे0 व ख0नं0 1624 रकबा 0.24 हे0 कुल 0.51 हे0 आवण्टन की गई है। प्रतिपक्षी सं0 2 ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग करके उक्त आवण्टन आदेश पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

किया है क्योंकि वर्ष 2010–2011 के प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान राजकीय सिवायचक भूमि काश्तकारो के हक में नियमन या आवण्टन करने का प्रयोजन नहीं रखा गया था, तहसील टोडारायसिंह के अलावा अन्य टोंक जिले की तहसीलो के गांवो में भी आवण्टन आदेश पारित नहीं किया गया है, आदेश पारित करने से पूर्व नियमानुसार सार्वजनिक प्रोकलोमेशन जारी नहीं किया गया, मौके की वास्तविक कब्जे की स्थिति की जांच नहीं की गई, आवण्टन नियमो से संबंधित अन्य औपचारिकताए पूरी होने के कारण ऐसा आवण्टन आदेश यथावत रखने योग्य नहीं है अपितु निरस्तनीय है। उपरोक्त आराजियात पूर्व में भी रामदेव पुत्र भूरा बैरवा को आवण्टन की गई थी जो उसका कब्जा नहीं होने के कारण उसका आवण्टन निरस्त किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पाला में जरिये नामांतकरण सं0 385 दि0 02.07.08 द्वारा उक्त भूमि सिवायचक अंकित करने का नोट राजस्व रिकार्ड में लगाया जा चुका है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर 35–40 साल से व वर्तमान में कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी से मिलवा है जो स्माल स्ट्रीप आफ लेण्ड की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण को आज तक कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है, यह भूमि प्रार्थीगण के हक में नियमन/आवण्टन की जाने योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 को कागजी आवण्टन एवं दिखावटी सुपुर्दगीनामा जारी किया है जबकि प्रतिपक्षी सं0 1 को मौके पर भौतिक कब्जा नहीं दिया है, प्रार्थीगण स्वयं भूमिहीन काश्तकार है जबकि प्रतिपक्षी नं0 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं है। प्रतिपक्षी सं0 2 ने स्वयं ने अपने हस्ताक्षरो से आवण्टन आदेश जारी किया है जबकि आवण्टन सम्पूर्ण कोरम व आवण्टन सलाहकार समिति की राय से उनकी उपस्थिति में किया जाता है जिससे आवण्टन गैर कानूनी है व निरस्तनीय है, आवण्टन क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी नं01 का आवण्टन निरस्त किया जावे।

4– अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16–11–2010 को प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर साबिक 1619 रकबा 0.27 हे0 व ख0नं0 1624 रकबा 0.24 हे0 कुल 0.51 हेक्ट्र भूमि वाके ग्राम मान्दोलाई का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है प्रार्थीगण ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर कदीमी से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, सार्वजनिक प्रोकलोमेशन जारी नहीं किया गया, मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की गई, भूमि आवण्टन योग्य नहीं थी, आवण्टन के समय भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था, वर्तमान में भी है, प्रार्थीगण के हक में उक्त भूमि नियमन/आवण्टन की जाने योग्य है। उसके बावजूद भूमि प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टित करदी गई। प्रतिपक्षीगण भूमिहीन नहीं है तथा उनके द्वारा आवण्टन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। आवण्टन कागजी व चुपचाप कराया गया है। प्रार्थीगण का एक आरोप यह भी है कि प्रतिपक्षी सं.1 (आवण्टी) भूमिहीन नहीं थे एंव उन्होंने भूमि आवण्टन के लिए आवेदन प्रपत्र में पहले से मोजूद भूमि का कालम सं0 2 में ब्यौरा नहीं दिया। इस सम्बन्ध में आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षीगण के द्वारा प्रपत्र के कालम नं0 2 में उनके हिस्से की भूमि को दर्शाया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं.1 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। विवादित भूमि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

में कुछ रकबे पर जरूर प्रार्थीगण का कब्जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 16–11–2010 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी, अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थीगण ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। राजस्व रिकार्ड एंव पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी सं.। भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आते हैं। भूमि आवण्टन से पूर्व जहॉ रिक्त भूमि की सूचि एंव उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉवों के संग अभियान में मजमेआम में किया गया हे ओर भू आवण्टन नियम के अनुसार सभी ओपचारिकताएँ विधिवत रूप से पूरी की गई हैं एंव बरवक्त प्रार्थीगण मोके पर मोजूद थे। अभिभाषक प्रार्थीगण का यह तर्क कि प्रतिपक्षी सं0 2 ने स्वयं ने अपने हस्ताक्षरो से आवण्टन आदेश जारी किया है जबकि आवण्टन सम्पूर्ण कोरम व आवण्टन सलाहकार समिति की राय से उनकी उपस्थिति में किया जाता है, सही है क्योंकि उक्त आवण्टन आवण्टन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर ही कमेटी की राय से किया जाना जाहिर है, आवण्टन आदेश पर कोरम के तीन सदस्यों एवं आवण्टन अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण ने आवण्टन को कागजी व चुपचाप कराना बताया है किन्तु वे इसे सिद्व नही कर सके। अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किये गये उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं.। का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज कर अप्रार्थी को किया गया आवण्टन यथावत रखा जाना उचित है।

आदेश

5. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाकर प्रतिपक्षी संख्या 1 को दिनांक 16.11.2010 को विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 1619 रकबा 0.27 हे0 व ख0नं0 1624 रकबा 0.24 कुल 0.51 हे0 वाके ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह का किया गया आवण्टन यथावत रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 29.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner